# छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
## छठवीं मंजिल टावर "सी" कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
पं.क.–216/30.10.2000 **सी.बी.डी. सेक्टर 21, मुख्यालय, अटल नगर, जिला–रायपुर 492002**
Website –www.markfed.cg.inic.in, E- Mail Id :-Mf_ctrlroom_raipur@gov.in, cgmarkfedtax2013@gmail.com, contact no. – 0771-2425426


कमांक/लेखा/कराधान/259/6/6239 /2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.03.2021

प्रति,

.....

.....

.....

.....

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GSTR-1 & GSTR-3B), जी. एस.टी. पर टी.डी.एस. (GSTR-7) एवं IT TDS (Salary & Non Salary) का मासिक रिटर्न फाईलिंग संबंधी कार्य हेतु ऑफर।**

––00––

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए **GST (GSTR-1 & GSTR-3B)** एवं **GST TDS (GSTR-7)** संबंधी कार्य के लिये माहवार रिटर्न फाईलिंग एवं **IT TDS (Salary & Non Salary)** त्रैमासिक रिटर्न फाईलिंग एवं अन्य समस्त कार्य समयावधि में पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार शर्तो के अधीन कार्य करने हेतु मासिक दरों (GST अतिरिक्त) के आधार पर ऑफर आमंत्रित किया जाता है:–

**A. अनिवार्य योग्यतायें:–**

(1) सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत् पंजीकृत 01 से अधिक पार्टनर वाली सनदी लेखाकार फर्म (जिसका मुख्यालय/शाखा छ.ग. मे हो।)

(2) सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली गई हो।

(3) फर्म में न्यूनतम 05 सी.ए. पार्टनर के रूप में होना चाहिए, जिनमे से न्यूनतम 02 एफ.सी.ए. फुलटाईम पार्टनर होना आवश्यक है।

(4) हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

(5) सनदी लेखाकार फर्म में न्यूनतम 10 प्रोफेशनल स्टाफ (With Article) होना आवश्यक है।

(6) ऐसी फर्म जिसे शासकीय/अर्धशासकीय संस्था जिसका GST (GSTR-1 & GSTR-3B) एवं GST TDS (GSTR-7) रिटर्न दाखिला का 01 वर्ष का एवं IT TDS (Salary & Non Salary) रिटर्न दाखिला का 02 से 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

(7) फर्म पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़ में सूचीबद्ध हो।

(8) सी.ए. फर्म का कार्यालय जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।

(9) फर्म को ऐसी संस्था जिसका Turnover 500.00 करोड़ या उससे अधिक का हो के गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GSTR-1 & GSTR-3B) एवं जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. (GSTR-7) एवं आई.टी. टी.डी.एस. (Salary & Non Salary) रिटर्न दाखिला का अनुभव होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

क्रमशः ..2.

(10) सी. ए. फर्म का सी.ए. संबंधित कार्यों से औसतन वार्षिक Turnover 50 लाख या उससे अधिक हो ( Last 03 Years में से किसी 02 Years में ) का होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

**B. कार्य की प्रकृतिः–**

## 1 GST & GST TDS :-

1.1 गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GSTR-1 & GSTR-3B) रिटर्न दाखिला हेतु विपणन संघ मुख्यालय (1), पशु आहार संयंत्र (1) तथा समस्त जिला इकाईयों (28) कुल 30 इकाईयों जिसका GSTN No. एक ही है, के गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स से संबंधित टैली में की गयी GST प्रविष्टयों का डाटा प्रदाय किया जावेगा। सी.ए. फर्म द्वारा संकलित कर परीक्षण उपरांत जमा योग्य राशि का चालान तैयार कर जिन्सवार डाटा सहित मुख्यालय को उपलब्ध करवाना होगा ताकि मुख्यालय स्तर से नियत तिथि के पूर्व चालान अनुसार राशि शासकीय मद में जमा किया जा सके।

1.2 जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. (GSTR-7) रिटर्न दाखिला हेतु उपरोक्त 30 इकाईयों जिसका GST TDS No. पृथक–पृथक है, के GST TDS से संबंधित टैली में की गयी प्रविष्टियों का डाटा प्रदाय किया जावेगा। जिसका परीक्षण उपरांत रिटर्न फाईलिंग का कार्य समय पर करना, एवं उसकी पावती संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

1.3 मासिक आधार पर GSTR2A से मिलान कर संबंधित सी.ए. फर्म द्वारा GSTR-1, GSTR-3B & GSTR-7 का विवरणी समय–सीमा में दाखिल करना।

1.4 संबंधित वर्ष के माहवार रिटर्न दाखिला के संबंध में वैधानिक आपत्ति के अपील/पुनरीक्षण का कार्य करना।

1.5 समय–समय पर गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GSTR-1 & GSTR-3B) एवं जी.एस.टी. टी.डी. एस. (GSTR-7) संबंधी संशोधनों की जानकारी विपणन संघ मुख्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार मांगे गए अभिमत से अवगत कराना।

1.6 उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (GSTR-1 & GSTR-3B) तथा जी.एस.टी. टी.डी.एस. (GSTR-7) से संबंधित समस्त कार्यो का संपादन करना।

## 2 IT TDS (Salary & Non Salary) :-

2.1 IT TDS (Salary & Non salary) रिटर्न दाखिला हेतु विपणन संघ मुख्यालय (1), पशु आहार संयंत्र (1) तथा समस्त जिला इकाईयों (28) कुल 30 इकाईयों जिसका TAN No. पृथक–पृथक है, जिसकी त्रैमासिक विवरणी पृथक–पृथक संबंधित विभाग में प्रस्तुत किया जावेगा।

2.2 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कर्मचारी/अधिकारियों एवं अन्य स्त्रोंत पर TDS कटौती संबंधी त्रुटिहीन विवरणी प्रस्तुती समयावधि में पूर्ण करना।

2.3 संबंधित वर्ष के TDS रिटर्न दाखिला के संबंध में वैधानिक आपत्ति के अपील/पुनरीक्षण का कार्य करना।

क्रमशः...

2.4 समय–समय पर आयकर संबंधी संशोधनों की जानकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराना एवं आवश्यकतानुसार मांगे गये अभिमत से अवगत कराना।

2.5 विपणन संघ में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों के वेतन स्त्रोत से कटौती टी.डी.एस. राशि एवं अन्य स्त्रोंत पर कटौती टी.डी.एस. राशि का निर्धारित प्रारूप में त्रुटिहीन ई–विवरणी तैयार कर समय सीमा में आयकर कार्यालय को दाखिल करना होगा एवं उसकी पावती विपणन संघ को उपलब्ध कराना होगा।

2.6 संबंधित फर्म द्वारा किये गए संबंधित वर्ष के. TDS रिटर्न दाखिला के पश्चात् भविष्य में यदि आयकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से डिमांड/शास्ति/ब्याज अधिरोपित की जाती है तो, इसका निराकरण करने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।

C. **ऑफर दरें :– निम्नानुसार तालिका अनुसार प्रदाय करें।**

**(राशि रूपये में)**

| क्रं | मद | प्रति इकाई मासिक/त्रैमासिक दर (कर अतिरिक्त) | प्रकृति |
|---|---|---|---|
| 01 | जी.एस.टी | | मासिक |
| 02 | जी.एस.टी. टी.डी.एस | | मासिक |
| 03 | आई.टी. टी.डी.एस. | | त्रैमासिक |

D. **चयन की प्रकिया :–**

1 लिफाफा **"A"** हेतु लिफाफा पहले खोला जायेगा। इसमें योग्यता पूर्ण करने के उपरांत ही लिफाफा **"C"** खोला जायेगा।

2 फर्म का चयन प्रत्येक श्रेणी में **L-1** के आधार पर होगा। पृथक–पृथक कार्य के लिए **L-1** के आधार पर पृथक–पृथक फर्म का चयन किया जा सकेगा।

3 यदि चयनित **L-1** द्वारा कार्य करने से इनकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे **ICAI** को अवगत कराते हुए संबंधित फर्म को **Black listed** कराने हेतु लेख किया जावेगा एवं **L-2** दर वाली फर्म को कार्यादेश प्रेषित किया जावेगा।

4 सी.ए. फर्म से समस्त कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव **GST (GSTR-1 & GSTR-3B), GST TDS (GSTR-7) एवं IT TDS (Salary & Non Salary)** हेतु मदवार न्यूनतम दर वाले सी.ए. फर्म को पृथक–पृथक कार्यादेश प्रेषित किया जावेगा।

E. **पेनाल्टी** :– यदि विपणन संघ द्वारा समय पर संपूर्ण डाटा प्रदाय करने के पश्चात् भी फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के उपरांत विवरणी दाखिला करने के कारण विलंब की अवधि का ब्याज/पेनाल्टी विपणन संघ पर अधिरोपित की जाती है, तो संबंधित की वसूली फर्म के प्रस्तुत देयक से की जावेगी।

F. **<u>भुगतान की प्रक्रिया</u>:–** चयनित दरों पर कार्य करने के उपरांत GST (GSTR-1 & GSTR-3B) रिटर्न संबंधित विभाग में दाखिल किये जाने के पश्चात् 90% तथा शेष 10% GST ऑडिट के बाद, आई.टी. टी.डी.एस. रिटर्न आयकर विभाग में दाखिल किये जाने के पश्चात् 90% तथा शेष 10% का भुगतान कर निर्धारण समयावधि के पश्चात् किया जावेगा एवं GST TDS (GSTR-7) रिटर्न संबंधित विभाग में दाखिल किये जाने के पश्चात् 100% राशि का भुगतान किया जावेगा।

क्रमश....

G. फर्म के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर कार्य की अवधि में वृद्धि या कमी की जा सकती है।

H. उपरोक्तानुसार समस्त कार्य हेतु प्रस्ताव GST (GSTR-1 & GSTR-3B), GST TDS (GSTR-7) तथा IT TDS (Salary & Non Salary) हेतु लिफाफा "A" जिसमें अनिवार्य योग्यताये से संबंधित दस्तावेज होंगे तथा लिफाफा "C" जिसमें दरों से संबंधित प्रस्ताव होगा, को पृथक–पृथक सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक सीलबंद लिफाफे में दिनांक 30.03.2021 समय दोपहर 03:00 बजे तक इस कार्यालय को निम्नानुसार दर्शाये पते पर प्रेषित करने का कष्ट करेगें।

**कार्यालय का नामः–** **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,**
**सी.बी.डी. कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, टावर 'सी' 6th फ्लोर,**
**सेक्टर–21, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर–492002**

**(प्रबध संचालक द्वारा अनुमोदित)**

Alpana 17/3/21.
**(डॉ.अल्पना घोष)**
**वित्तीय नियंत्रक**

**पृ.** कमांक/लेखा/कराधान/259/6/6239 /2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.03.2021
**प्रतिलिपिः–**
जावक शाखा मास्टर फाईल हेतु।

Alpana 17/3/21.
**वित्तीय नियंत्रक**